

प्रेस-विज्ञप्तिथाना जहानागंजदुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 30.08.2023 को थाना स्थानीय के वादी ने थाना उपस्थित आकर एक प्रा0पत्र दिया कि वादी की पुत्री उम्री 09 वर्ष के साथ अभियुक्त नूशीद उर्फ मिर्यहवा S/O मोहम्मद शाहिद ग्राम रामपुर दरिया कस्बा जहानागंज आजमगढ़ द्वारा घर में अकेला पाकर घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 380/23 धारा 452/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम नूशीद उर्फ मिर्यहवा S/O मोहम्मद शाहिद ग्राम रामपुर दरिया कस्बा जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना नि0अ0 निशात जमा खाँ। मुकदमा पंजीकृत कर अमल में लायी गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 5/6 पास्को एक्ट को 3/4 पास्को एक्ट में तरमीम किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक-02.09.2023 को अ0नि0 निशात जमाँ खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नूशीद उर्फ मिर्यहवा पुत्र मोहम्मद शाहिद ग्राम रामपुर दरिया कस्बा जहानागंज आजमगढ़ को महुआ मुरारपुर बाजार के पास से समय करीब 13.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0स0 380/23 धारा 452/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-- नूशीद उर्फ मिरचहवा पुत्र मोहम्मद शाहिद ग्राम रामपुर दरिया कस्बा जहानागंज आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास--- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- नि0अ0 निशात जमाँ खाँ मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना अतरौलियागैर इरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- दिनांक 29.07.23 की दोपहर में विपक्षी 1. उमापति पुत्र स्व0 बखेडू 2. अनिल पुत्र उमापति 3. महेन्द्र पुत्र स्व0 बखेडू 4. अश्वनी पुत्र महेन्द्र 5. रवीन्द्र नाथ पुत्र स्व0 दुखीराम (प्रकाश मे) निवासीगण बसहिया ने मिलकर वादी विक्रांत पुत्र विजय कुमार आनन्द के चाचा अरुण कुमार आनन्द पुत्र खडभान निवासी ग्राम बसहिया को आबादी की जमीन को लेकर गाली देते हुए डण्डों से मारा पीटा जिससे उनका सिर में चो लगी और बेहोश हो गये, जिसके संबन्ध में मु0अ0सं0 221/23 धारा 308/323/504/506 IPC पंजीकृत हुआ। विवेचना हेतु उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव को प्राप्त हुआ। विवेचक के स्थानान्तरण के पश्चात विवेचना उ0नि0 हिरेन्द्र प्रताप सिंह को प्राप्त हुयी। दिनांक 27.08.23 को पीड़ित अरुण कुमार की मृत्यु इलाज के दौरान हो गयी। अतः मुकदमा उपरोक्त में धारा 304 IPC की बढ़ोत्तरी की गई और अभियुक्त रवीन्द्र नाथ पुत्र स्व0 दुखीराम का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 02.09.2023 को उ0नि0 हिरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. उमापति पुत्र स्व0 बखेडू राम निवासी बसहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. महेन्द्र उर्फ जगरनाथ पुत्र स्व0 बखेडूराम निवासी बसहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को बस स्टैंड अतरौलिया से समय 12.30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 221/23 धारा 304/323/504/506 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उमापति पुत्र स्व0 बखेडू राम निवासी बसहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 74 वर्ष

2. महेन्द्र उर्फ जगरनाथ पुत्र स्व0 बखेडूराम निवासी बसहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 62 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 हिरेन्द्र प्रताप सिंह 2. का0 मुकेश गुप्ता 3. का0 राजू यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर
दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास-दिनांक 20.08.2023 को वादिनी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित सूचना दी की वादिनी की मझली लडकी के देवर आशीष गिरी पुत्र गोपी गिरी नि0ग्राम भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की छोटी लडकी उम्र 15 वर्ष को बहला फुसलाकर भगाकर मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया तथा आशीष गिरी के पिता गोपी गिरि व आशीष की माँ फूला देवी व परिवार के सदस्य बलवन्त, यशवन्त व बसन्त पुत्रगण गोपी गिरि व निशा पत्नी रामऔतार व मन्जु पत्नी बलवन्त द्वारा सहयोग किया जाना तथा मेरी मझली पुत्री को प्रताडित करना कि वादिनी मुकदमा के दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 567/2023 धारा 120B,363,366,498A भादवि बनाम 1.फूला देवी पत्नी गोपी गिरी 2.मन्जु पत्नी बलवन्त गिरी 3.बलवन्त गिरी पुत्र गोपी गिरी 4.यशवन्त पुत्र गोपी गिरी 4.निशा पत्नी रामऔतार गिरी 5.गोपी गिरी पुत्र मरजाद गिरी 6.आशीष गिरी पुत्र गोपी गिरी निवासीगण भुवनाबुजुर्ग थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0श्री रमेश कुमार यादव द्वारा सम्पादित की गयी।

दौराने विवेचना अवलोकन बयान पीडिता अन्तर्गत धारा 161/164 सीआरपीसी से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 120B/498Aभादवि की घटोत्तरी की गयी व 1.फूला देवी पत्नी गोपी गिरी 2.मन्जु पत्नी बलवन्त गिरी 3.बलवन्त गिरी पुत्र गोपी गिरी 4.यशवन्त पुत्र गोपी गिरी 4.निशा पत्नी रामऔतार गिरी 5.गोपी गिरी पुत्र मरजाद गिरी निवासीगण भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर आजमगढ़ जिसकी विवेचना से नाजदगी गलत पायी गयी तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376(3) भादवि व 4(2) पाक्सो ACT की बढोतरी की गयी। विवेचना के क्रम मे -

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 02/09/2023 को उ0नि रमेश कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबीर खास के सूचना के अधार पर मु0अ0सं0 567/23 धारा 363/366/376(3) भादवि व 4(2) पाक्सो ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आशीष गिरी पुत्र गोपी गिरी नि0ग्राम भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को चुनगपार तिराहा से समय करीब 08.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 567/23 धारा 363/366/376(3) भादवि व 4(2) पाक्सो ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-आशीष गिरी पुत्र गोपी गिरी नि0ग्राम भुवना बुजुर्ग थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0श्री रमेश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली जीयनपुर आजमगढ़
2. हे0का0रविन्द्र यादव थाना कोतवाली जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 अजय पाठक थाना कोतवाली जीयनपुर आजमगढ़
4. हो0गा0रामानन्द यादव थाना कोतवाली जीयनपुर आजमगढ़